रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2013/आश्विन 4, 1935
No. 495] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2013/ASVINA 4, 1935

गृह मंत्रालय
(पुलिस-2 प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 660(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 34) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में समूह "क" और समूह "ख" के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, (कार्यक्रमक और सहायक कार्यक्रमक) समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता:— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति :-- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
1	2	3	4
1. कार्यक्रमक	5* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 3 15,600-39,100 रू. + ग्रेड वेतन 5400 रू.

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
5	6
चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
9	10	11
प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।	**प्रोन्नति :** (i) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के ऐसे सहायक कार्यक्रमक जिन्होंने वेतन बैंड-2 में 9300-34,800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है । (ii) उसे कम्प्यूटर कार्यक्रमण या सिस्टम डिजाइन या विश्लेषण का एक मास का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए । **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण** 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की

सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।) :—

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, 9300 - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है ;

या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, 9300 - 34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं :—

(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में बैचलर या कम्प्यूटर इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी बैचलर या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर डिग्री या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर उपयोजन में विशेषज्ञता सहित प्रौद्योगिकी मास्टर डिग्री ;

(ii) इलैक्ट्रानिकी डाटा प्रसंस्करण कार्य का दो वर्ष का अनुभव जिसमें वास्तविक कार्यक्रमण का अनुभव भी सम्मिलित है ।

या

(ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर उपयोजन या कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या इलैक्ट्रांनिकी या इलैक्ट्रानिकी और संचार इंजीनियरी में डिग्री ;

(ii) इलैक्ट्रानिकी डाटा प्रसंस्करण कार्य का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें वास्तविक कार्यक्रमण का अनुभव भी सम्मिलित है ।

या

(ग) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री ।

(ii) इलैक्ट्रानिकी डाटा प्रसंस्करण कार्य का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें वास्तविक कार्यक्रमण का अनुभव भी सम्मिलित है ।

या

(घ) (i) इलैक्ट्रानिकी और कम्प्यूटर श्रेणी प्रत्यायन विभाग कार्यक्रम (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) के अधीन "ए" स्तर डिप्लोमा या विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अधीन प्रदान किया गया कम्प्यूटर उपयोजन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर उपयोजन में पोस्ट पोलिटेक्निक डिप्लोमा ।

(ii) इलैक्ट्रानिकी डाटा प्रसंस्करण कार्य का चार वर्ष का अनुभव जिसमें वास्तविक कार्यक्रमण का अनुभव भी सम्मिलित है ।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 :-प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

		टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय -सदस्य 3. महानिरीक्षक (प्रशा0), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य 4. संयुक्त सचिव या इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी -सदस्य 5. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1	2	3	4
2. कार्यक्रमक सहायक	09* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 2 9300-34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600 रू.

5	6
लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण** - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8
आवश्यक : (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में बैचलर या कम्प्यूटर इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी बैचलर या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर डिग्री या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर उपयोजन में विशेषज्ञता सहित प्रौद्योगिकी मास्टर डिग्री ; (ii) इलैक्ट्रानिकी डाटा प्रसंस्करण कार्य का दो वर्ष का अनुभव जिसमें वास्तविक कार्यक्रमण का अनुभव भी सम्मिलित है । या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर उपयोजन या कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या इलैक्ट्रानिकी या इलैक्ट्रानिकी और संचार इंजीनियरी में डिग्री ; (ii) इलैक्ट्रानिकी डाटा प्रसंस्करण कार्य का दो वर्ष का अनुभव जिसमें वास्तविक कार्यक्रमण का अनुभव भी सम्मिलित है । या (ग) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री । (ii) इलैक्ट्रानिकी डाटा प्रसंस्करण कार्य का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें वास्तविक कार्यक्रमण का अनुभव भी सम्मिलित है । या (घ) (i) इलैक्ट्रानिकी और कम्प्यूटर श्रेणी प्रत्यायन विभाग कार्यक्रम (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) के अधीन "ए" स्तर डिप्लोमा या विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अधीन प्रदान किया गया कम्प्यूटर उपयोजन में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा या राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर उपयोजन में पोस्ट पोलिटेक्निक डिप्लोमा । (ii) इलैक्ट्रानिकी डाटा प्रसंस्करण कार्य का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें वास्तविक कार्यक्रमण का अनुभव भी सम्मिलित है । **टिप्पण 1** - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2** :-अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता

9	10	11
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा । पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी । (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 2, 9300-34,800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।	लागू नहीं होता

4151 GI/13-2

12	13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य 3. इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से निदेशक या उप सचिव -सदस्य 4. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य	लागू नही होता ।

[फा. सं. ई-13(3)/006 /2012/रा.अ.अ. (पीटी-4)]
हरीश चन्दर, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(POLICE-II DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2013

G.S.R. 660(E).–In exercise of the powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' and Group 'B' posts in the National Investigation Agency under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency (Programmer and Assistant Programmer) Group 'A' and Group 'B' posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.–These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3.Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.– The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5.Disqualification.–No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible to be appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Programmer	5* * (2013) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-3,Rs 15600-39100 with grade pay of Rs 5400	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruit	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By promotion failing which by deputation Including Short-Term Contract

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
PROMOTION : (i) Assistant Programmer of National Investigation Agency with three years' regular service in the pay band -2, Rs. 9300–34800 with grade pay of Rs. 4600. (ii) Should have undergone one month's formal training of computer programming or system design or analysis. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2-** For the purpose computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended. based on the recommendations of the said Pay Commission. **DEPUTATION (ISTC):** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Semi-Government or Statutory Bodies or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or recognised research Institutions or Universities: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the pay band–2, of Rs. 9300 – 34,800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Home Affairs –Member 3. Inspector General (Admn), National Investigation Agency – Member 4. Joint Secretary or an officer of equivalent rank from the Department of Electronics and Information Technology –Member 5. Superintendent of Police, National Investigation Agency -Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

415145713-3

rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the pay band. of Rs. 9300-34,800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing following educational qualification : (a) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Masters' degree in Computer Application or Computer Science or Master of Technology with specialisation in Computer Application from a recognised University; (ii) two years' experience of electronics data processing work, including experience of actual programming. or (b) (i) degree in Computer Application or Computer Science or degree in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognised University; (ii) three y ears' experience in electronics data processing work, including experience of actual programming. or (c) (i) Master's degree from a recognised University or degree in engineering of a recognised University; (ii) three years' experience of electronics data processing work, including experience of actual programming. or (d) (i) 'A' Level Diploma under the Department of Electronics and Accreditation of Computer Classes (DOEACC) programme or post graduate Diploma in Computer Application offered under University Programme or post polytechnic diploma in Computer Application awarded by the State Council of Technical Education; (ii) four years' experience of electronics data processing work, including experience of actual programming. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Peri od of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

Note4: For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5	6
2. Assistant Programmer	*09 * (2013) Subject to variation dependent of workload.	General Central Service, Group – 'B',Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2 Rs. 9300–34800 with grade pay of Rs. 4600	Not applicable	Not exceeding 30 Years (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government.) **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

7	8	9	10
ESSENTIAL: (a) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Masters' degree in Computer Application or Computer Science or Master of Technology with specialisation in Computer Application from a recognised University; (ii) two years' experience of electronics data processing work including experience of actual programming. or (b) (i) degree in Computer Application or Computer Science or degree in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognised University. (ii) two years' experience of electronics data processing work including experience of actual programming. or (c) (i) Master degree of a recognised University or degree in Engineering from a recognised University. (ii) three years' experience of electronics data processing work	Not applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;

including experience of actual programming. or (d) (i) 'A' level Diploma under the Department of Electronics and Accreditation of Computer Classes (DOEACC) programme or post graduate diploma in Computer Application offered under University programme or post polytechnic diploma in Computer Application awarded by the State Council of Technical Education. (ii) three years' experience of electronics data processing work including experience of actual programming. **Note 1:** Qualifications are relaxable at discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			or (ii) with five years' regular service in posts or the pay band-2, of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

11	12	13
Not applicable	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Inspector General, National Investigation Agency – Chairman 2. Deputy Inspector General,National Investigation Agency – Member 3. Director or Deputy Secretary from Department of Electronics and Information Technology - Member 4. Superintendent of Police, National Investigation Agency – Member	Not applicable.

[F. No. E-13(3)/006/2012/NIA (Pt-VI)]
HARISH CHANDER, Dy Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.